विद्यालय - DELHI PUBLIC SCHOOL (P21705)

आवेदन क्रमांक : 39630

मान्यता कोड : RJJAI30608

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: 1252

दिनांक 18/01/2021

सचिव

प्रबंध समिति

DELHI PUBLIC SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 39630 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DELHI PUBLIC SCHOOL पता SECTOR-6, PLOT NO. R-7, & S-3, VIDHYADHAR NAGARग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAIPUR NN PART4 ब्लॉक JHOTWARA CITY को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	DELHI PUBLIC SCHOOL
स्वीकृत नवीन नाम	DHARAV HIGH SCHOOL

For DHARAV HIGH SCHOOL
A Unit of Champa Devi Jaipuria Charitable Trust
Authorised Signatory

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा. शिक्षा, जयपुर

PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL
JAIPUR

मान्यता कोड : RJJAI30608

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय– समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा. शिक्षा, जयपुर

Seema
PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL
JAIPUR

For DHARAV HIGH SCHOOL
A Unit of Champa Devi Jaipuria Charitable Trust
Authorised Signatory

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा. शिक्षा, जयपुर
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा. शिक्षा, जयपुर

PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL
JAIPUR

For DHARAV HIGH SCHOOL
A Unit of Champa Devi Jaipuria Charitable Trust
Authorised Signatory

RAJ-PSP

Regd A.D

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय –आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक प.9 (2) शिक्षा–5/05 दिनांक 15.03.2011 व 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11–12 दिनांक 18.03.2011 व 25.04.2011 के अनुपालना में निम्नलिखित संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्देशित शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है :–

1– राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम –1993 के परिशिष्ट –2 में यथा निर्देशित निबन्धनों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ– पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती है

2– संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें ।

3– संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकेगें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

4– संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2011 –12 से क्रमोन्नत की जावेगी, क्रमोन्नत प्रथम सत्र में कक्षा –6 में, सत्र 2012 –13 में कक्षा –7 में एवं सत्र 2013–14 में कक्षा –8 प्रारम्भ की जावेगी ।

5– आवश्यकतानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेंगे ।

6– भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा ।

7– दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करेगें ।

8– कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें ।

9– शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

10– शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण –पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

11– माननीय न्यायालय के पूर्वानुमति के शिक्षा सत्र 2011–12 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा । यदि कोई शुल्क बढा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा ।

12– अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें ।

13– शिक्षा अधिकार नियम 2010 के प्रावधानुसार छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा ।

14– हाईटेंशन लाईन एवं मोबाइल टॉवर विद्यालय भवन में नहीं लगाया जावे ।

15– बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत धारा 19 व 25 विद्यालय के लिये (मान और मानक) की पालना एक वर्ष में कर अवगत कराना होगा अन्यथा मान्यता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

16– निदेशालय एवं राज्य सरकार से समय–समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा मान्यता रद्द करदी जायेगी ।

17– ....

क्र. सं.	नाम संस्था मय पता	क्रमो. का स्तर	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	हंसराज एकेडमी, साधु बाबा कॉलोनी, नींदड़, वि.ओ. क्षेत्र जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
2.	होली एंजिल्स कॉन्वेंट स्कूल, राठौड़ बाजार, कानोता जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
3.	डिलीट		
4.	स्वीट किड्स, डी–81, फेज III आलापा दूसरा, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
5.	ऋषि इन्टरनेशनल, इन्द्रा बाजार, शिवाजी कॉलोनी, चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि	अंग्रेजी
6.	श्री बालाजी पब्लिक स्कूल [illegible]		

Seema
PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL

For DHARAV HIGH SCHOOL
A Unit of Champa Devi Jaipuria Charitable Trust
Authorised Signatory

क्र. सं.	नाम संस्था मय पता	मान्य. का स्तर	हिन्दी/अंग्रेजी
8.	जय दुर्गा एकेडमी, 47, शंकर नगर, माउन्ट रोड़, आमेर रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
9.	वात्सल्य पब्लिक स्कूल, 63 श्याम नगर, रानपुरा रोड़, सांगानेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
10.	राज भारती पब्लिक स्कूल, कंथोलिया, बस्सी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
11.	शिवानी पब्लिक स्कूल, बड़वा, बस्सी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
12.	इंडियन्स चिल्ड्रन एकेडमी, नांगल सुसावतान, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
13.	श्री लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन, लूनियावास, भेरू खेजड़ा, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
14.	सरस्वती विद्यापीठ, चतरपुरा, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
15.	मानव इंटरनेशनल स्कूल, 173/24, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
16.	सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कूल, 655–स्कीम रोड़, सालिगरामपुरा, बीलवा, टोंक रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
17.	ऋषि इन्टरनेशनल स्कूल, मेन भूडाला, बस स्टेण्ड के सामने, गोनेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
18.	कौशल एकेडमी, गढ, बस्सी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
19.	गुरु गोविन्द पब्लिक स्कूल, किरतपुरा, फागी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
20.	देहली पब्लिक स्कूल, विद्याधर नगर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
21.	संस्कार विद्या निकेतन, सुल्तानिया, फागी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
22.	श्री विष्णु विद्या विहार, रायसर, जमवारामगढ़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
23.	सेंट एडमंड्स कान्वेंट स्कूल, ए–ब्लाक, मालवीय नगर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
24.	टेगोर इंडियन पब्लिक स्कूल, मूक बधिर दृष्टि हीन एवं विकलांग विद्यालय महल योजना, बी–ब्लाक, जगतपुरा रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
25	हयात किड्स एकेडमी, ए–6 गांधी विहार, खो–नागोरियान, जगतपुरा बाईपास रोड़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
26.	सक्सेस पब्लिक स्कूल, 76 प्रताप नगर, नाई की थड़ी, रामगढ़ रोड़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
27.	महादेव स्कूल ऑफ एजुकेशन, कोटखावदा, चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
28.	एस.एन.बी.डी. कान्वेंट स्कूल, नारदपुरा रोड, नांगल सुसावतान, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
29.	आर.एस. इंटरनेशनल स्कूल, सिन्धोलाई, रोजदा रोड, खोरा बीसल, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
30.	ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, 81 मदन विहार, गोनेर मोड़, श्री राम की नांगल, सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी

क्रम संख्या 03 को विलोपित किया जाता है/

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।

क्रमांकः जिशिअ/जय/प्राशि/सा–1/फा– /मान्यता/11–12/927–55 दिनांक 30/8/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप –5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर ।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
5.– संबंधित संस्था सचिव देहली पब्लिक स्कूल, विद्याधर नगर, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।

For DHARAV HIGH SCHOOL
A Unit of Champa Devi Jaipuria Charitable Trust
Authorised Signatory

PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL
JAIPUR